



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर  
पीठासीन अधिकारी- श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 25/2018

श्रीमति जन्नत धर्म पत्नी श्री अब्दुल सत्तार जाति मेहरात निवासी बाडिया भाऊ  
तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज

..... वादी

बनाम

- 1- श्री बन्ना पुत्र श्री बाला उर्फ बालू
- 2- श्री कैलाश पुत्र श्री बाला उर्फ बालू
- 3- श्रीमति रेमती धर्म पत्नी स्व0श्री बाला उर्फ बालू
- 4- श्री गुमान पुत्र श्री रणजीत
- 5- श्रीमति नैनी धर्म पत्नी रणजीत
- 6- श्रीमति जमीला पुत्री श्री रणजीत
- 7- श्रीमति रूकमा धर्म पत्नी श्री हमीद  
सभी जाति मेहरात निवासी बाडिया भाऊ तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0
- 8- श्रीमान् उपपंजियक गणेशपुरा बाईपास जोधपुर रोड ब्यावर राज0
- 9- राजस्थान सरकार श्रीमान् तहसीलदार साहब, बजरिये लैण्ड होल्डर, ब्यावर  
जिला अजमेर राज0
- 10- राजस्थान सरकार श्रीमान् जिला कलेक्टर साहब अजमेर जिला अजमेर
- 11- श्रीमती रूकमा पत्नि हमीद कौम मेरात सा. बाडिया भाउ।

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक - 18-10-2018

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 12-06-2018 को विभाजन की अंतरिम/प्रारंभिक डिक्री पारित कर वादी का वास्ते विभाजन लाया गया वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाने से आंशिक स्वीकार किया गया और प्रकरण में इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की गई कि- "ग्राम बाडिया भाऊ पटवार क्षेत्र पाखरीयावास तहसील ब्यावर में हाल खसरा नंबर 29 रकबा 02-16-10, 30 रकबा 00-07-00, 31 रकबा 00-07-00 में वादीया को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा विक्रय किये गये बन्ना कैलाश पि. बाला रेमती पत्नि स्व. बालू हि.1/4, गुमान वल्द रणजीत नैनी पत्नि स्व. रणजीत जमीला पुत्री रणजीत हि.1/4 रेमती पत्नि बालू नैनी पत्नि रणजीत हि. 1/6 के स्थान पर क्रेता वादिया के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जावें। उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किये जाने के पश्चात् जमाबन्दी में वर्णित उनके उक्त हिस्सो के अनुसार खसरा नम्बर 29 व 31 का बाँई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी 1, 7 व 11 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एवं कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते हैं तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर को दिये जाते हैं, कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथा खसरा संख्या 30 चाह के उनके हिस्से अनुसार ओसरे कायम किये जावे। वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जावे तब तक बेचान हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही नहीं करे खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।"

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/4786 दिनांक 14.09.2018 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने कोई एतराज नहीं करते हुए कथन किए हैं कि बंटवारा

.....लगातार



(सुरेश चौधरी)  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

प्रस्ताव पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर ही तैयार किया गया है। अतः यथाप्रस्ताव बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम बाड़िया भाऊ पटवार क्षेत्र पाखरियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देलवाड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 29/1 रकबा 01-17-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शे में ख.नं. 29/1 अंकित किया गया है, जिसे गुमान वल्द रणजीत नैनी पत्नि स्व. रणजीत जमीला पुत्री रणजीत 3/8 हि. नेनी पत्नि रणजीत 1/8 हि. बदामी पत्नि पेमा 1/8 हि. रूकमा पत्नि हमीद 3/8 हि. कौम मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 29/2 रकबा 00-19-00, 31/2 रकबा 00-04-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है को वादिया जन्नत पत्नि अब्दुल सत्तार जाति मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 30 रकबा 00-07-00 किस्म चाह को जन्नत पत्नि अब्दुल सत्तार 1/4 हि., गुमान वल्द रणजीत जमीला पुत्री रणजीत 1/6 हि., बदामी पत्नि पेमा 1/12 हि. मौहम्मद रफीक पुत्र रमजान 1/4 हि. रूकमा पत्नि हमीद 1/4 हि. कौम मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 31/1 रकबा 00-02-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है व नक्शे में ख.सं. 31/1 अंकित किए गए हैं को बदामी पत्नि पेमा 1/4 हि. रूकमा पत्नि हमीद 3/4 हि. कौम मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वे वादिया के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-10-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)  
(सुरेश चौधरी)  
उपसहायक सहायक कलक्टर  
ब्यावर  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर  
व अजलाम सुरेश चौधरी आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 25/2018

श्रीमति जन्नत धर्म पत्नी श्री अब्दुल सत्तार जाति मेहरात निवासी बाडिया भाऊ  
तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज

..... वादी

बनाम

- 1- श्री बन्ना पुत्र श्री बाला उर्फ बालू
- 2- श्री कैलाश पुत्र श्री बाला उर्फ बालू
- 3- श्रीमति रेमती धर्म पत्नी स्व०श्री बाला उर्फ बालू
- 4- श्री गुमान पुत्र श्री रणजीत
- 5- श्रीमति नैनी धर्म पत्नी रणजीत
- 6- श्रीमति जमीला पुत्री श्री रणजीत
- 7- श्रीमति रूकमा धर्म पत्नी श्री हमीद  
सभी जाति मेहरात निवासी बाडिया भाऊ तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज०
- 8- श्रीमान् उपपंजियक गणेशपुरा बाईपास जोधपुर रोड ब्यावर राज०
- 9- राजस्थान सरकार श्रीमान् तहसीलदार साहब, बजरिये लैण्ड होल्डर, ब्यावर  
जिला अजमेर राज०
- 10- राजस्थान सरकार श्रीमान् जिला कलेक्टर साहब अजमेर जिला अजमेर
- 11- श्रीमती रूकमा पत्नि हमीद कौम मेरात सा. बाडिया भाउ।

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि, यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में ग्राम बाडिया भाऊ पटवार क्षेत्र पाखरियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देलवाड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 29/1 रकबा 01-17-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शे में ख.नं. 29/1 अंकित किया गया है, जिसे गुमान वल्द रणजीत नैनी पत्नि स्व. रणजीत जमीला पुत्री रणजीत 3/8 हि. नेनी पत्नि रणजीत 1/8 हि. बदामी पत्नि पेमा 1/8 हि. रूकमा पत्नि हमीद 3/8 हि. कौम मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 29/2 रकबा 00-19-00, 31/2 रकबा 00-04-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है को वादिया जन्नत पत्नि अब्दुल सत्तार जाति मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 30 रकबा 00-07-00 किस्म चाह को जन्नत पत्नि अब्दुल सत्तार 1/4 हि., गुमान वल्द रणजीत जमीला पुत्री रणजीत 1/6 हि., बदामी पत्नि पेमा 1/12 हि. मौहम्मद रफीक पुत्र रमजान 1/4 हि. रूकमा पत्नि हमीद 1/4 हि. कौम मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 31/1 रकबा 00-02-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है व नक्शे में ख.सं. 31/1 अंकित किए गए हैं को बदामी पत्नि पेमा 1/4 हि. रूकमा पत्नि हमीद 3/4 हि. कौम मेरात सा. देह के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वे वादिया के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

.....लगातार



(सुरेश चौधरी)  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक..... की अदा करें। बहस्व मेरे दस्ताख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18-10-2018 को जारी किया गया ।



(सुरेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	



(सुरेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर